न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या:— 42/2020 .

प्रार्थी:—

भुदराराम पुत्र हकमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. अमराराम पुत्र सवाजी जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. डायाराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. तगाराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. नकलाराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. पारसमल पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6. भीखाराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
7. मीठाराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
8. वींजराम पुत्र उत्तमाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
9. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना
10. राजस्थान सरकार जरीये भुमि धारक तहसीलदार सिवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :—1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिववक्ता प्रार्थी**

2.श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1,5 ता 8

—: आदेश :—

दिनांक :— 30.07.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1082/57[illegible] किता [illegible]-4569 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा थापन पटवार मण्डल थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है जिसकी पश्चिमी सीमा से लगता खेत खसरा नम्बर [illegible] विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुआ है जिसके माठ के किनारे होते होते तक प्रार्थी के खेत में आवागमन करता है जो आगे विप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 571 की माठ पर बनी हुई गै.मु.ओरण तक जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/146 दिनांक 26.03.2021 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 2 ता 4 व 7 के विरूद्व वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विप्रार्थी संख्या 1,5,6 व 8 की आरे से वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर मौके पर प्रार्थी के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर जवाव के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'व' में दर्शाया बरंग लाल रास्ता मौजूद है तथा उक्त खेत के आवगमन हेतु बदिशा उत्तर में स्थित खसरा संख्या 1084/572 जो कि प्रार्थी के भाई धुंकाराम का है में से होते हुए आगे खसरा संख्या 936/110 मे होते हुए आगे ओरण भूमि तक जाता है जो रास्ता विगत 70 सालो से प्रार्थी एव उसके भाई द्वारा उपयोग में लिया रहा है। एवं उसी के अनुरूप रास्ता दिये जाने हेतु कथन किया ।

दिनांक 02.07.2021 को विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त खातेदारी के खेत के बदिशा उत्तर में स्थित में खसरा संख्या 1084/572 के खातेदार को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी खेत खसरा संख्या 1082/572 के माठ के किनारे –किनारे नक्शा परिशिष्ट ''द'' मे वर्णित बरंग लाल व नीले स्थान से आवगमन कर सकता है प्रार्थी के आवगमन हेतु प्रार्थी के खसरा संख्या 1082/572 में खसरा संख्या 1084/572 के खातेदार द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता प्रदान किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई। दोनो पक्षकारन के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया पत्रावली पर पेश मौका फर्द दिनांक 19.12.2020 का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन मौका फर्द से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें विप्रार्थीगण के द्वारा पेश तथ्यों के अनुरूप मौके पर स्थान पर आवगमन वावत कोई उल्लेख नहीं है साथ ही मौका फर्द स्वंय विप्रार्थीगण की उपस्थित में भू.अ.निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है मौका फर्द में दो विकल्प बताया गया है प्रथम विकल्प अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.0405 हैक्टयर बनती है जबकि दूसरे विकल्प में प्रार्थी के आवगमन हेतु रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि का रकबा 0.0850 हैक्टयर बनता है। मध्यक्षेपी द्वारा प्रार्थी के खेत में आवागमन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दूरी प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते की दूरी से अधिक होने के कारण विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुरूप खेत खसरा संख्या 1084/572 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौरान बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1082/572 रकबा 01-4569 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा थापन पटवार मण्डल थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसकी पश्चिमी सीमा से लगता खेत खसरा नम्बर 571 विप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आई हुआ है जिसके माठ के किनारे होते होते तक प्रार्थी के खेत में आवागमन करता है जो आगे विप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 571 की माठ पर बनी हुई ग्रेवल सडक तक जाता है उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थी वकील की बहस में दी गई दलीलो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मे आवगमन हेतु रास्ता 1084/572 जो प्रार्थी के भाई धुंकाराम का है मे से होते हुए आगे खसरा संख्या 936/110 मे से होते हुये आगे ओरण भूमि तक जाता है उक्त खसरा के माठ के किनारे-किनारे रास्ता प्रार्थी को दिया जावे । जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट का बाद अवलोकन व मनन के यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता ही एक मात्र नजदीकी रास्ता है तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट कें सलंग्न दिनांक 19.12.2020 के मौका फर्द के अनुरूप विकल्प संख्या 02 में जो रास्ता बताया है उक्त रास्ते दूरी में अधिक होने से मौका फर्द में अंकित विकल्प संख्या 01 में वर्णित स्थान पर रास्ते हेतु भूमि दिया जाने उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 19.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 571 मे से होकर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 1082/572 में आवगमन हेतु बदिशा पश्चिमी माठ विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा थापन के खसरा नम्बर 571 मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 19.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी प्रस्तावित रास्ता 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित. दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थी को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकवा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये वरंग लाल ए से बी.तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 30-07-21 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)